


172

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट
रीवा जिला रीवा म0प्र0



बसती देवी त्रिपाठी तनय श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी उम्र 65 वर्ष
निवासी वीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

M-5138-II/17

— आवेदिका

बनाम

1- मिथलेश कुमारी पत्नी दिनेश द्विवेदी उम्र 42 वर्ष पेशा गृहणी
निवासी वीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

अधिवक्ता श्री अशोक गौतम
वाराणसी 30.3.17

अधिवक्ता श्री अशोक गौतम
राजस्व मण्डल ग्वालियर
(रीवा जिला) रीवा

— अनावेदिका

आवेदन पत्र एम0जे0सी0 क0
एम-5509 / II / 16 मे पारित
अदम पैरवी में खारिजी आदेश
दिनांक 22-03-2017 को निरस्त
करते हुये एम0जी0सी0 को
पुनर्स्थापित किये जाने बावत
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3)
म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष एम0जे0सी0 क0
एम-5509 / II / 16 रीवा दिनांक 22-03-2017 को दायर तर्क हेतु
नियत थी। जिसमें अधिवक्ता की अनुपस्थित में प्रकरण अदम पैरवी
में खारिज कर दिया गया।

बसन्ती देवी / प्रियलेश कुमारी द्विवेदी

62

M. 5138-दो/17 सीका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक का हस्ताक्षर
17-5-17	<p>1- आवेदक अधिमाषक नी अतय कुमारा गौतम उप.</p> <p>2- आवेदक द्वारा पह आवेदन साहित्य की चारा 35(अ) के तहत प्रकाश वृमांक M. 5509/दो/16 अदम पेरषी दिनांक 22.3.17 के पुनर्लयाफ वावत आवेदन पेश किया गया है। आवेदक अधिमाषक को लुना गया तथा प्रकाश का अधलोकन किया/ प्रकाश वृमांक M. 5509-दो/16 पुनः नम्यट के लिपा जाता है। वा.कुमार प्रकाश याम् किया जाये प्रकाश समाप्त किया जाता है।</p> <p>3- प्रकाश पची से समाप्त होकर प्र. कु. है।</p> <p style="text-align: right;">रुद्रस्य</p>	NR Auli- 17/8